न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 98/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/490

1. जानू देवी पत्नी रामचन्द जाति नायक निवासी 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर

–अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए नायब तहसीलदार समेजा

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. उप तहसीलदार समेजा कोठी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. हस्तगत अपील प्रकरण(82/22) पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के नायब तहसीलदार समेजा के आदेश दिनांक 28.02.2022 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 16 पीटीडी ए मु.नं. 278/337 मु.नं. 11 कि.नं. 5/0.253है. भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने व अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी लगाने के आदेश दिए गये हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता व प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना समुचित अवसर दिये बिना जवाब पेश करने का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी नहीं हैं। अपीलाधीन भूमि अपीलांट के ससुर को टीसी पर आवंटित थी जिसके संबंध में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष कर रखी हैं। अपीलांट का भूमि पर कब्जा लगातार चला आ रहा हैं। अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने से अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। आलौच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हैं, आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब अपील पेश कर दी हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील स्वीकार आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया था वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुए थे। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर

जिला कलक्टर अनूपगढ़

अतिक्रमण किया गया हैं इसलिए उनके विरूद्ध राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत कार्यवाही की गयी हैं जो विधि सम्मत हैं। अपील मियाद बाहर पेश की गयी हैं जबकि अपीलार्थी को आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थी को नोटिस जारी किया और पत्रावली में दिनांक 28.02.2022 नियत की गयी। दिनांक 28.02.2022 को अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई, आदेशिका पर अपीलार्थी का अंगूठा निशानी अंकित हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 को ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध मानते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया।

5. अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय में अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव पक्ष में किये गये कथनों अथवा प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों का अंकन नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी का लिखित कथन अथवा दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय का चाहिए था कि वे अपीलार्थी को अपने बचाव पक्ष में लिखित कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते। जबकि प्रकरण में इसका अभाव हैं जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु लौटाया जाना उचित हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा उप तहसीलदार समेजा कोठी का आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण उप तहसीलदार समेजा कोठी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)